न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 86 / जिला टोंक

1. मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप
2. घीसी पुत्री रामस्वरूप
3. ललीता पुत्री रामस्वरूप

समस्त जाति ब्राहमण निवासी बागड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक

—अपीलांट

बनाम

1-बरजी देवी पत्नी स्व. श्री छोगा
2-मंगला पुत्र छोगा
3-रूपा पुत्र छोगा
4-रमेश पुत्र छोगा
5-श्रवणी पुत्री छोगा
6-पांची पुत्री छोगा
7-आचुकी पुत्री छोगा

समस्त जाति भील निवासी बागडी तहसील मालपुरा जिला टोंक

8-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मालपुरा जिला टोंक

—रेस्पोडेण्टस

9- टीकम पुत्र रामनारायण
10- योगेश पुत्र रामनारायण
11- अमरी पुत्री रामनारायण
12- मनभर पत्नी रामनाराण

समस्त जाति ब्राहमण निवासी बागड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक

—तरतीबी रेस्पोडेण्टस

उपस्थित अभि0:—
1. रामसुख चौधरी ,अभि0 अपीलांट
2. शंकर लाल चौधरी, अभि0 रेस्पो0 संख्या 1 से 7
3. राजकीय अभि0,रेस्पो0 संख्या—8
4. दिनेश शर्मा,अभि0 रेस्पो0 संख्या—10
5. एस0 पी0 ओझा,अभि0 रेस्पो0 संख्या—11
6. रेस्पो0 संख्या—9 व 12 अभि0 अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय मालपुरा दिनांक 18.05.2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1542/2016 उनवान [illegible] राजस्थान सरकार व अन्य में पारित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:02 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बागड़ी तहसील मालपुरा में खसरा नं 1432/9 रकबा 13 बीघा जमीन छोगा भील को आवंटित हुई तथा 1432/4

रामनारायण को तथा 1432/5 रामस्वरूप को अलॉट हुई। इन दोनों को 15–15 बीघा भूमि आवंटित की गयी है। अपीलांट 1 से 3 रामस्वरूप के वारिस है। रेस्पोडेंड 1 से 7 छोगा के वारिस है। रेस्पोडेंड संख्या 9 से 12 रामनारायण के वारिस है। खसरा नं 1432 अन्य अभ्यर्थियों को भूमि आवंटित हो रखी है। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा धारा–136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में जो कि छोगा के द्वारा रामनारायण और रामस्वरूप के वारिसान के विरूद्ध दर्ज करवाया गया था में दिनांक 18.05.2017 को निर्णय कर राजीनामें के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण लोकअदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर करना बताया गया है।

वर्तमान अपील रामस्वरूप के वारिसान के द्वारा छोगा तथा रामनारायण के वारिसान को रेस्पोडेंड बनाते हुए, उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 1542/2016 पारित निर्णय 18.05.2017 के विरूद्ध की गई है। अपील के मुख्य आधार यह बताये गये है कि –

1.खसरा नं 1432 में बहुत सारे काश्तकारों को भूमि आवंटित की गई थी जिन्हें न्यायालय कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

2. लोकअदालत दिनांक 18.05.2017 की उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। उन्हें कोई जानकारी दिए बिना निर्णय पारित किया गया। अपीलांट द्वारा अपने वकील को इस बाबत् कोई सहमति नहीं दी गई।

वकील अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। जिसके साथ आवश्यक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा न्यायालय में अपनी पैरवी के लिए अभिभाषक श्री मन्नालाल गुप्ता को नियुक्त किया था। परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा पारित आदेश की सुचना उन्हें नहीं दी गई है। अप्रार्थीगण के द्वारा उन्हें दिनांक 24.10.2018 को सुचना प्राप्त होने पर प्रार्थी मुकेश कुमार द्वारा दिनांक 25.10.2018 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की अपील प्रस्तुत करने की जानबूझकर देरी नही की। दिनांक 26.10.2018 को न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर दी है। देरी से प्रस्तुत अपील समयावधि को प्रार्थीगण के ग्रामीण क्षेत्र के होने से क्षमा किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया। बहस के दौरान छोगा के वारिसान के वकील द्वारा यह कथन किये गए। कि अपील मियाद बाहर है। बहस अन्य वकील सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। शपथ पत्र को देखा गया। न्यायालय का यह मानना है कि प्रार्थी को जानकारी मिलते ही तत्काल उसने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर देरी नही की गई है। अतः अपील में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी मालपुरा निर्णय दिनांक 18.05.2017 की क्रियान्विती रोकने तथा राजस्व रिकॉर्ड, मौके की स्थिति को यथावत रखे जाने बाबत तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलांट वकील द्वारा शीघ्र सुनवाई कर स्थगन आदेश प्रदान करने बाबत् निवेदन किया। शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। चूंकि पत्रावली अन्तिम बहस पर है अतः स्थगन के प्रार्थना पत्र में अभी कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के निर्णय दिनांक 18.05.2017 से संबंधित पत्रावली न्यायालय में तलब की गई। बहस बहु–[illegible] अभिभाषक सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:02 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंड नं 1 से 7 के वकील द्वारा बहस में यह बताया गया कि स्वर्गीय छोगा को खसरा नं 1432 में जिसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है में 13 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। जिसके खसरा नं 1432/9 की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की गई। रामनारायण के वारिस रेस्पोडेंड नं 9 से 12 में बताया गया है कि स्वर्गीय

रामनारायण को 15 बीघा भूमि खसरा नं 1432/4 के रूप्प आवंटित की गई थी। उनके वकील द्वारा यह भी बताया गया था कि प्रकरण संख्या 1542/2016 में उपखण्ड न्यायालय मालपुरा में उनके द्वारा सहमति का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। बल्कि कंटेस्टेट जवाब दिया था चूंकि छोगा द्वारा मौके की स्थिति के के अनुसार नक्शा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और हमारे द्वारा जवाब में इसका विरोध किया गया था। रामस्वरूप के वारिसान अपीलांट 1से 3 वकील द्वारा बहस में बताया गया की स्वर्गीय रामस्वरूप को 1432/5 में 15 बीघा भूमि आवंटित की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने हमारे पजेशन वाली जगह पर छोगा को बिठा दिया है। साथ ही 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही में क्षैत्राधिकार से परे जाकर रास्ता और निकाल दिया। रामनारायण मेरे चाचा थे और उनके चक्कर मे पड़ कर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये । रेस्पोडेंड 1 से 7 के वकील द्वारा यह कथन दिया कि दिनांक 18.05.2017 को निर्णय किया गया। को अन्तिम निर्णय माना जायेगा चूंकि तत्कालिन रेस्पोडेंड द्वारा इकबालिया जवाब दिया` था। वर्तमान अपील मियाद बाहर हैं और इस बाबत् कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दौराने बहस वकील श्री रामस्वरूप चौधरी द्वारा आर वी जे (22)2015 पेज नं 256 नगरपालिका बॉर्ड बाड़मेर बनाम राजस्थान सरकार (सुप्रीम कोर्ट) का निर्णय प्रस्तुत किया। साथ ही आर आर डी 2015 के 374 मानखान बनाम ताजबानो राजस्थान हाईकोर्ट तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय लालाराम बनाम अन्य आर वी जे (22)2015 प्रस्तुत किया। बहस बहु–पक्ष वकील सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साइटेशन का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम साइटेशन पर विचार किया जाना उचित रहेगा।

1. आर वी जे (22)2015 पेज 256 नगरपालिका बोर्ड बाड़मेर बनाम राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित इस निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है। कि धारा–136 एल आर एक्ट की प्रोसिडिंग के द्वारा किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए पृथक से कानून बना हुआ है। वर्तमान प्रकरण में यह स्थिति नहीं है वर्तमान प्रकरण तरमीम से संबंधित है। अतः यह साइटेशन वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है।
2. आर आर डी 14.07.2015 के पेज **376** मानखान बनाम ताजबानो में हाईकोर्ट राजस्थान द्वारा यह निर्णय दिया गया। कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 के प्रावधान के होते हुए धारा 27 सी का उपयोग उचित नहीं है। जिसमें एस डी ओ के द्वारा तहसीलदार कार्यालय से धारा 27 सी के तहत पत्रावली मगवाकर रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया है। वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड द्वारा धारा 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही के दौरान रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो उचित नहीं है। आदेश का संबंधित हिस्सा निम्न अनुसार है– **''खसरा नं 1432/9 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे 25 फिट चौड़ा रास्ता 1432/5 में जा रहा है। जो खसरा नं 1432/5 का ही भाग है। इसी तरह खसरा नं 1432/5 पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे 25 फिट चोड़ा रास्ता खसरा नं 1432/9 में जा रहा है। यह रास्ता खसरा नं 1432/9 का ही भाग है। उक्तानुसार नक्शा शीट में तरमीम की जाए।''** उक्त साइटेशन वर्तमान प्रकरण में चस्पा होता है।
3. आर वी जे (22)2015 पेज 251 लालाराम वर्सेज देवाराम उक्त प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णित किया था। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के बिना पारित निर्णय खारिज योग्य है। वर्तमान प्रकरण खातेदारी घोषणा का न होकर तरमीम का है। मगर खसरा नं 1432 में [illegible] के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित किया [illegible] उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः उक्त प्रकरण में यह साइटेशन आंशिक रूप से लागू होता है।

रेस्पोडेंड नं 9 से 12 के वकील द्वारा बहस के दौरान यह बिन्दु उठाया गया था। कि उनके द्वारा सहमति का जवाब नहीं दिया गया था। बल्कि यह कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:02 IST
Reason: SelfAttested

दिया गया था। कि प्रस्तावित नक्शा गलत है। इसके पत्रावली पर उपलब्ध जवाब को देखा गया। जवाब के बिन्दु संख्या 2 में यह अंकित किया हुआ है। **'' परन्तु प्रार्थी ने नक्शा गलत पेश किया है। सही नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जो सही है।''** स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा लोकअदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करते हुए रामनारायण के वारिसान द्वारा प्रस्तुत जवाब का सही रूप से अवलोकन नहीं करते हुए इकबालिया जवाब मानते हुए फैसला किया गया जो गलत है। साथ ही रामस्वरूप वारिसान के वकील द्वारा जो आक्षेप लगाया गया है। जो महत्वपूर्ण है जिला कानूनी प्रावधान के अपनाये हुए रास्ता और निकाल दिया गया। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 18.05.2017 का अवलोकन किया गया । प्रोसेडिंग का अवलोकन किया गया। 18.05.2017 में निर्णय किया गया इससे पूर्व जो प्रोसेडिंग मे तारिख तय की गई है वह 24.03.2017 है। जिसका अवलोकन किया गया। **'' अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है पुनः बहस करना चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 01.05.2017 पेश किया''** स्पष्ट है कि पत्रावली 24. 03.2017 के बाद 01.05.2017 को नियत थी। मगर 01.05.2017 को कोई प्रोसिडिंग दर्ज नहीं की गई है। तथा सीधे ही 18.05.2017 को लोकअदालत में प्रस्तुत कर निर्णय कर लिया गया है।

न्यायालय का यह मानना है कि उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा लोकअदालत की भावना से जो निर्णय लिया गया है। वह तथ्यो के विपरीत है क्षेत्राधिकार से परे है। और कानून सम्मत नहीं है। आर आर डी 14.07.2015 के पेज **376 राजस्थान हाईकोर्ट मानखान बनाम ताजबानो में जो निर्णय प्रतिपादित किया गया है। वह वर्तमान प्रकरण में सही रूप से चस्पा होती है। इस प्रकरण में भी एस डी ओ द्वारा क्षेत्राधिकार का हनन करते हुए नये रास्ते का सृजन किया है। नये रास्ते का सृजन धारा–136 एल आर एक्ट के तहत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पृथक से प्रावधान किये गए है। उपरोक्तानुसार विवेचना से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा निर्णय दिनांक 18.05.2017 प्रकिया, नियमों एवं कानून के विरूद्ध है जिससे खारिज किया जाना उचित होगा।**

क्रियात्मक आदेश

ग्राम बागड़ी तहसील मालपुरा वादग्रस्त खसरा नं 1432/9,1432/5,1432/4 के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के द्वारा निर्णय दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी मालपुरा का निर्णय दिनांक 18.05.2017 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली पुनः उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड की जाती है कि आवंटन का मूल रिकोर्ड देखते हुए पुनः नये सिरे से तरमीम की जाये। खसरां नं 1432 में अन्य लोगों को भी भूमि आवंटित हो रखी है उन्हें भी आवश्यक पक्षकार बनाकर नये सिरे से सुनकर विधि अनुरूप निर्णय पारित किया जाये।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीआयुक्त,
अजमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:02 IST
Reason: SelfAttested